वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 21.10.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर" अमर उजाला,दैनिक जागरण,,," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला –दि0 21.10.2025

नए साल में 850 राजस्व गांवों का तैयार होगा जीआईएस मास्टर प्लान

वीडीए ने सांई संस्था को दी जिम्मेदारी

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। नए साल में 850 राजस्व गांव का जीआईएस मास्टर प्लान तैयार होगा। वीडीए की ओर से यह जिम्मेदारी सांई संस्था को दी गई है। यह योजना आवास, वाणिज्यिक क्षेत्रों और खुले स्थानों सहित विभिन्न आवश्यकताओं के बीच विकास को संतुलित बनाएगी। इसके तहत वीडीए सीमा में 278 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को शामिल गया है।

इसके सभी राजस्व गांव का मास्टर प्लान बनने से कई लाभ होंगे। मास्टर प्लान प्रौद्योगिकी, वित्त और आतिथ्य जैसे क्षेत्रों में निवेश के क्षेत्रों की पहचान करेंगे। वाणिज्यिक पार्क और औद्योगिक क्षेत्र बनाकर आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करेंगे। इसके प्रमुख लाभों में बेहतर भूमि उपयोग और बुनियादी

वीडीए सीमा में 278 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को किया गया शामिल

ढांचा नियोजन शामिल है। हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय, भीड़भाड़ और प्रदूषण में कमी आएगी।

सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और विकास पहलों के लिए सामुदायिक समर्थन में बढ़ोतरी होगी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि मास्टर प्लान विकास को दिशा देने के लिए प्रस्तावित भूमि-उपयोग मानचित्र तैयार करते हुए शहर के विकास के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। जो समय के साथ विकास और परिवर्तन का मार्गदर्शन करता है। जिससे निवासियों के जीवन स्तर में सुधार, व्यवस्थित विकास और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलता है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण–दि0 21.10.2025

गंगा किनारे मरम्मत के नाम पर नया मकान बनाया तो होगा केस

अवैध निर्माण होने पर अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

- गंगा किनारे से 200 मीटर के दायरे में आने वाले नए निर्माण पर वीडीए ने लगा रखी है रोक
- भवन स्वामी को वीडीए से लेनी होती है अनुमति, एवज में स्वामी को जमा करना पड़ता था तय शुल्क

जागरण संवाददाता, वाराणसी : गंगा घाट किनारे से 200 मीटर के दायरे में मरम्मत के नाम पर नई बिल्डिंग या भवन बनाने वालों पर वाराणसी विकास प्राधिकरण ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गंगा किनारे मरम्मत के नाम पर आए आवेदनों पर वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा ने जोनल अधिकारी से स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा है। आनलाइन या मैनुअल रिपोर्ट तय अवधि में भेजी जाए जिससे आवेदनकर्ता को कोई परेशानी नहीं हो। जोनल अधिकारी की ओर से भेजी गई रिपोर्ट पर वीडीए सचिव खुद क्रास चेकिंग करेंगे। लापरवाही मिलने पर जोनल अधिकारी को दोषी मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। मकान का क्षेत्रफल, ऊंचाई और मकान का कितना हिस्सा जर्जर हो चुका, क्या-क्या मरम्मत की जरूरत है। साथ ही मौके पर फोटोग्राफ भी कराई जाएगी जिससे बाद में मरम्मत के अलावा कोई बदलाव या नया भवन बनाने पर भवन स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराई जा सके। गंगा किनारे से 200 मीटर के दायरे में नए निर्माण पर पूरी तरह से रोक है। पुराने व जर्जर भवनों का मरम्मत करने के लिए भवन स्वामी को वीडीए से अनुमति लेनी पड़ती है। इसके एवज में भवन स्वामी को तय शुल्क जमा करना पड़ता था। शिकायत मिलने पर वीडीए सचिव खुद स्थलीय निरीक्षण कर जोनल अधिकारी और अवर अभियंता से जवाब मांगा हैं।

> गंगा घाट किनारे मरम्मत के नाम पर कई भवन स्वामी नया निर्माण कर रहे है। कई होटल, गेस्ट हाउस तक बना लिए है, ऐसे लोगों पर शिकजा कसने के लिए रिपोर्ट बनाई जा रही है। मरम्मत के नाम पर नया निर्माण करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। वहीं, कर्मचारियों को दोषी मानते हुए कार्रवाई की जाएगी।
> -डा. वेद प्रकाश मिश्रा, सचिव, वीडीए।

निर्माण करने के लिए तोड़ दिए पत्थर: गंगा किनारे से 200 मीटर तक पूर्व वीडीए उपाध्यक्ष राहुल पांडेय ने सीमांकन कराकर 225 से ज्यादा स्थानों पर पत्थर गड़वाए थे।

8उनके ट्रांसफर होने के साथ कुछ स्थानों पर अराजक तत्वों ने पत्थर तोड़ दिए। इसकी जानकारी पूर्व वीडीए उपाध्यक्ष ईशा दुहन को हुई तो उन्होंने फिर सर्वे कराकर पत्थर गड़वाए लेकिन फिर लोगों ने पत्थर तोड़ना शुरू कर दिया है। अब तो कई पत्थर गायब हो गए हैं।

गंगा किनारे पड़ते हैं ये वार्ड : आदमपुर, कोतवाली, चौक, भेलूपुर और नगवां।